संख्या– 833/V–2/41(आ0)19/2019

प्रेषक,

प्रेम सिंह राणा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 11 सितम्बर, 2019

विषय– शेल्टर फण्ड की धनराशि को 12 किश्तों में जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विंडलास डेवलपर्स प्रा0 लि0, देहरादून के पत्र दिनांक 14.05.2019 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा शेल्टर फण्ड की धनराशि को 12 किश्तों में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1195/V–2 –2019–23(आ0)/2011, दिनांक 09.09.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा शासनादेश संख्या–506 /V/आ0–2016– 23(आ0)/2011, दिनांक 30.03.2016 में शेल्टर फण्ड जमा किये जाने हेतु निर्धारित व्यवस्था के प्रस्तर–2(iii) के उप प्रस्तर–(III) में संशोधन करते हुए शेल्टर फण्ड जमा किये जाने की नवीन व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या–1195/V–2 –2019–23(आ0)/2011, दिनांक 09.09.2019 में निर्धारित व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

संख्या– 833 /V–2/41(आ0)19/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपी– विंडलास डेवलपर्स प्रा0 लि0, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 14.05.2019 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

संख्या 1195/V-2-2019-23(आ0)/2011

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— **मुख्य प्रशासक,**
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2— **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

3— **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।

आवास अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांक 09 सितम्बर, 2019

विषयः—सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने विषयक नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक शासनादेश संख्या—506/V/आ0—2016—23(आ0)/2011, दिनांक 30.03.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने विषयक नीति प्रख्यापित की गयी है।

2— उक्त शासनादेश संख्या—506/V/आ0—2016—23(आ0)/2011, दिनांक 30.03.2016 के प्रस्तर—2(iii) के उप प्रस्तर—(III) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर—2(iii)	**(III)** नवीन परियोजनाओं में शेल्टर फीस 03 समान छमाही किश्तों तथा पुनरीक्षित परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड 02 समान छमाही किश्तों में विकासकर्ता द्वारा जमा किया जा सकता है, जिसमें प्रथम किश्त मानचित्र स्वीकृति के समय देय होगी। शेल्टर फण्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्रो द्वारा एक अलग बैंक खातें में जमा की जाएगी, जिसे केवल ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0 जी0 हाउसिंग के लिए भूमि जुटाव, भूमि विकास एवं भवन निर्माण और उसे सम्बन्धित कार्यो के उपयोग में ही लाया जायेगा।	**(III)** शेल्टर फण्ड का निर्धारण निम्नवत किया जाता हैः— **क—नवीन परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड की देयता निम्नवत होगीः—** 1— शेल्टर फण्ड की आंकलित धनराशि 3.00 करोड़ तक होने पर मानचित्र स्वीकृति के समय 25 प्रतिशत देय होगा तथा 50 प्रतिशत की धनराशि 04 समानुपातिक किश्तों में देय होगी, शेष 25 प्रतिशत की धनराशि पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) प्राप्त करने से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा। 2— शेल्टर फण्ड की आंकलित धनराशि 03 करोड़ से अधिक होने पर उक्त धनराशि 08 समान आनुपातिक किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त मानचित्र स्वीकृति के समय तथा अंतिम किश्त का भुगतान

		पूर्णता प्रमाण–पत्र (Completion Certificate) निर्गत किये जाने से पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा। **ख–पुनरीक्षित परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड की देयता निम्नवत होगीः–** 25 प्रतिशत की धनराशि विकासकर्ता द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय देय होने के कारण पुनरीक्षित परियोजनाओं में शेल्टर फण्ड की वर्तमान में आंकलित धनराशि का 50 प्रतिशत 04 समानुपातिक किश्तों में देय होगी, शेष धनराशि पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) प्राप्त करने से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा। **नोट–** उपरोक्तानुसार शेल्टर फण्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि प्राधिकरण द्वारा एक अलग बैंक खातें में जमा की जाएगी, जिसे केवल ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0 आई0 जी0 हाउसिंग के लिए भूमि के क्रय, भूमि विकास एवं भवन निर्माण और सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं के उपयोग में ही लाया जायेगा। उपरोक्त उल्लिखित समानुपातिक किश्तों का भुगतान प्रत्येक छः माह पर किया जायेगा।

3– उक्त शासनादेश संख्या–506/V/आ0–2016–23(आ0)/2011, दिनांक 30.03.2016 में उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव।

संख्या 1195/V-2-2019-23(आ0)/2011,तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
4– अपर आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल/कुमायूं सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव